रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C.Kau 1.1.85

सं० 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 1984/आश्विन 20, 1906
No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 1984/ASVINA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर 1984

सं 8/6/84-टी सी पी :--सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र उद्योग में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिये तथा भविष्य में उसके समुचित विकास के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये सचिव वस्त्र विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है । समिति का गठन निम्नोक्त प्रकार होगा :--

1. श्री हरबंस सिंह, अध्यक्ष
   सचिव,
   वस्त्र विभाग,
2. श्री के वी रामानाथन्,
   सचिव,
   योजना आयोग
3. डा० विमल जालान,
   मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा
   पदेन विशेष सचिव,
   वित्त मंत्रालय
4. डा० वाई के अलघ,
   अध्यक्ष,
   औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो,
   उद्योग मंत्रालय
5. श्री एस एस जाठे,
   'विनय' नं 9 साहूजीवन कारपोरेटिव
   हाउसिंग सोसाइटी लि०
   आफ गणेश हिन्द रोड,
   पुणे-411007
6. अध्यक्ष,
   भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
   बम्बई
7. श्री एस के मिश्र,
   विकास आयुक्त (हथकरघा),
   वस्त्र विभाग।
8. प्रो० एन के चक्रा,
   भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
   पो० बा० सं० 16757 अलीपोर पोस्ट आफिस रोड,
   कलकत्ता-700027

9. डा० के० राधा कृष्णन
निदेशक,
अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन,
पो आ पोलिटैकनीक,
अहमदाबाद-380015

10. डा० टी वी रतनम,
निदेशक,
साऊथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन
पो बा सं 3205,
कोयम्बटूर-641014

11. श्री वंगाराम तुलपुले,
बी -3 बाकम नगर,
आफ दफ्तरी रोड,
बम्बई-64

12. डा० दीपक नैय्यर,
आर्थिक सलाहकार,
वाणिज्य मंत्रालय।

13. संयुक्त सचिव,
वस्त्र विभाग।

14. वस्त्र आयुक्त सदस्य सचिव
बम्बई।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे :--

(1) वस्त्र उद्योग की वर्तमान संरचना का विशेषरूप से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की, अर्थात् हथकरघा अधिसूचित करघा तथा संगठित मिल क्षेत्र की सापेक्ष भूमिका तथा कार्यकुशलता का घरेलू खपत के लिये तथा साथ ही निर्यातों के लिये वस्त्रों का उत्पादन तथा उपलब्धता बढ़ाने के लिये इन क्षेत्रों का एकीकृत तथा सुव्यवस्थित विकास करने के लिये उपाय सुझाने की दृष्टि से अध्ययन करना तथा समीक्षा करना;

(2) वस्त्र उद्योग के संदर्भ में विद्यमान औद्योगिक लाइसेंसिंग राजकोषीय तथा व्यापार नीतियों पर विचार करना तथा इस उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिये आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना;

(3) नियंत्रण तथा विनियमनों की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो परिवर्तनों का सुझाव देना।

(4) ऐसे सुझाव देना जिससे वस्त्र उद्योग की आर्थिक सक्षमता में सुधार हो सके और ऐसे उपाय प्रतिपादित करना जो उद्योग में रुग्णता को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिये आवश्यक हो, जिनमें श्रम तथा पूंजी के पुनर्नियोजन के रूप में अवस्थापना सम्बन्धी समायोजन शामिल हैं ;

(5) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिये अध्ययन करना और वस्त्र उद्योग के लिये अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं, पूंजीगत माल/प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय संसाधनों के रूप में इसकी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करना ;

(6) उत्पादन की विविधता और उद्योग की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों की घरेलू खपत तथा घरेलू उत्पादन में प्रवृत्तियों के कारणों की जांच करना ;

(7) खपत तथा उत्पादन प्रवृत्तियों, कृषि क्षेत्र में रोजगार विवक्षाओं और नवीकृत करने योग्य और नवीकृत न करने योग्य साधनों के बीच परिस्थितिक विचार जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए गत्यात्मक बहुरेशा नीति के संदर्भ में विभिन्न रेशों के लिये विशिष्ट भूमिकाओं का सुझाव देना ;

(8) कच्चे माल की स्थिर कीमतें सुनिश्चित करने के लिये सुझाव देना जिनमें कच्चे माल अधिशेष स्टाक प्रचालनों की सम्भाव्यता शामिल है;

(9) गत निष्पादन, विश्व व्यापार के रुख और भारतीय वस्त्र उद्योग के तुलनात्मक लाभ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों विशेषरूप से मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिये सुझाव देना ;

(10) घरेलू खपत और साथ ही निर्यातों के संदर्भ में वितरण तथा विपणन स्रोतों की जांच करना; और इनको अधिक कार्यशील तथा लागत प्रभावी बनाने के लिये उपायों का सुझाव देना।

3. समिति, यदि आवश्यक हुआ, उपरोक्त विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य किसी पहलू पर विचार कर सकती है।

4. समिति अपनी निजी कार्य पद्धति तैयार करेगी जिसमें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के लिये यदि आवश्यक समझा गया परामर्शदाता रखना भी शामिल होगा।

5. सरकारी अधिकारियों के संबंध में यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते पर व्यय, यदि कोई हो, संबंधित विभागों द्वारा वहन किये जायेंगे जबकि गैर सरकारी अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5 सितम्बर 1960 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ 6-(26)-ई-4/59 के अनुसार यात्रा भत्ते तथा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के बारे के हकदार होंगे।

6. समिति अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करेगी

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन वह भारत में किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकती है।

एन के सभरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 12th October 1984

N . 8/6/84-TPC.—In view of the importance of the textile industry in the national economy, the Government have decided to set up an Expert Committee, under the Chairmanship of Secretary, Department of Textiles, to review the present situation in the textile industry and to suggest measures for its proper development in the future. The constitution of the Committee shall be as follows:—

1. Shri Harbans Singh, Chairman
Secretary,
Department of Textiles.

2. Shri K. V. Ramanathan,
Secretary,
Planning Commission.

3. Dr. Bimal Jalan,
Chief Economic Adviser and
Ex-Officio Special Secretary,
Ministry of Finance.

4. Dr. Y.K. Alagh,
Chairman
Bureau of Industrial Costs and Prices,
Ministry of Industry.

5. Shri S.S. Marathe
'Vinay' No. 9 Saharjeevan
Cooperative Housing Society Ltd.,
Off. Ganesh Hind Road,
Pune-411007.

6. Chairman
Industrial Development Bank of India,
Bombay.

7. Shri S.K. Misra
Development Commissioner (Handlooms),
Deptt. of Textiles.

8. Prof. N.K. Chandra
Indian Institute of Management,
P.B.No. 16757,
Alipore Post Office Road,
Calcutta-700027.

9. Dr. T. Radhakrishnan
Director,
Ahmedabad Textile Industry's Research Association
P.O. Polytechnic,
Ahmedabad-380015

10. Dr. T. V. Ratnam
Director,
South India Textile Research Association,
P.B. No. 3205,
Coimbatore-641014

11. Shri Bagaram Tulpule
B-3, Bachani Nagar,
Off. Daftary Road,
Bombay-64.

12. Dr. Deepak Nayyar
Economic Adviser,
Ministry of Commerce.

13. Joint Secretary
Deptt. of Textiles

14. Textile Commissioner
Bombay. Member Secretary

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:

(i) To study and review the present structure of the Textile Industry, particularly the relative role and efficiency of different sectors of the industry, namely handloom, powerloom and the organised mill sector, with a view to suggesting measures for integrated and harmonious development of these sectors for augmenting the production and availability of textiles both for domestic consumption as well as exports;

(ii) To examine the existing industrial licensing, fiscal and trade policies with reference to the textile industry and suggest necessary changes for modernisation and growth in the industry;

(iii) To review the existing system of control and regulations and suggest changes, wherever necessary;

(iv) To suggest measures which would improve the economic viability of the textile industry and to formulate steps which would be necessary to prevent and tackle sickness in the industry, including structural adjustments in the form of redeployment of Labour and capital;

(v) To study the need for modernisation of the textile industry and outline its requirements in terms of infrastructural facilities, capital goods/technology and financial resources for the textile industry;

(vi) To examine the factors underlying trends in domestic consumption and domestic production of textiles, keeping in view the varietal mix of the output and the longterm requirements of the industry;

(vii) To suggest specific roles for different fibres in the context of a dynamic multi-fibre policy, taking into consideration such factors as consumption and production trends, employment implications in the agricultural sector and ecological consideration as between renewable and non-renewable sources;

(viii) To suggest measures for ensuring stable raw material prices, including the possibility of buffer stock operations in raw materials;

(ix) To suggest measures to increase exports of different types of textiles, particularly value added products having regard to past performance, pattern of world trade and comparative advantage of the Indian textile industry;

(x) To examine the distribution and marketing channels with reference to domestic consumption as well as exports and to suggest measure for making these more efficient and cost effective.

3. The Committee may, if necessary, consider any other aspect related to the above terms of reference.

4. The Committee will formulate its own procedure of working including engagement of consultants, if considered necessary, for any specific area of its work.

5. The expenses on TA and DA, if any, will be borne by the respective departments in respect of Govt. officials, whereas non-officials will be entitled to claim TA & DA as per O.M. No. F.6(26)-E.IV/59 dated 5th September, 1960 of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), as amended from time to time.

6. The Committee will submit its report within a period of six months.

7. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may meet at any other place in India.

N. K. SABHARWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1984